action is taken to remove the encroachment.

Illegal Dhabas/Rcstaiirants opened in Farm Houses and Panchayat Land

3648. DR. MOHAN BABU: Will the Mini.stcr of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hundred of Sh()pvT)haba.s/Rcstaurants have illegally opened up in farm houses and village panchayat land on Gurgaon-Mahrauli and Gurgaon Delhi border in connivance with the officials;

(b) whether Government propose to set up an enquiry into it; and

(c) what steps have been taken by Government to remove such illegal encroachments?

THE MINISTER OF STATE iN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI BAN-DARU DAITATREYA): (;i) to (c) MCD ha.s reported that a number of shops/'dhabas and restaurants have come up at Andheria More Road leading to Gaurgaon. There are al.so three restaurants running in farm houses on Mehrauli Gurgaon Road. A number of shops/ dhabas/restaurants have been registered under ad-hoc registration scheme, 1990, and those not registered are being prosecuted. Recently prosecution action in this area had been taken on 4.6.1998, besides routine raids being conducted in this area. The encroachcment from village Panchayat land are removed by the Revenue Department and from Municipal land by Municipal Corporation of Delhi from time to time with the help of police. Prosecution action is taken by MCD under section 417 of DMC Act.

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं को बेची गई भूमि

3649. **श्री बरजिन्दर सिंहः**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालियाः

क्य शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विगत वर्षों के दौरान सांस्कृतिक, समाजिक, व्यापारिक औऱ शैक्षणिक संस्थाओं को भूमि बेची गई है,

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक संस्था को बेची गई भूमि का इसकी कीमत सहित ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि भूमि की कमीत बाजार की कीमत की तुलना में कम आंकी गई है , औऱ

(घ) यदि हां, तो भूमि की कीमत कम आंकने के क्या कारण हैं, और कीमत कम रखने के लिए अपनायी गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री बंडारु दत्तात्रेय**): (क) डी.डी.ए. पट्टा आधार पर सांस्कृतिक, समाजिक और शिक्षण संस्थानों को भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक प्लाटों की बिक्री नीलामी/टेंडर के माध्यम से की जाती है।

(ख) जिन सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों तथा शिक्षण संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि आबंटित की गई , जिसमें भूमि का मूल्य भी शामिल है, उनकी सूची क्रमशः विवरण। और ॥ में दी गई है (नीचे देखिए)।

(ग) औऱ (घ) यह भूमि पट्टे के आधार पर औऱ भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आबंटित की जाती है।

विवरण

सामाजिक औऱ सांस्कृतिक संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान भूमि का आबंटन

क्रम. सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
1999			
1.	श्री राम सेवा संघ	300 वर्ग मीटर	50 लाख
2.	पार्वती एसोसियशन	4090 वर्ग मीटर	10 लाख

क्रम.सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
3.	चिल्ड्रेन मेडिकल फाउंडेशन	3.459 एकड़	15 लाख पहले एकड़ शप 50 लाख प्रति एकड़
4.	मुल्तान सेवा समिति	1590 वर्ग मीटर	50 लाख
5.	सर्वेंट आफ पुलिस सोसाइटी	4000 वर्ग मीटर	50 लाख
6.	नेशनल हर्ट सोसायटी	400 वर्ग मी0	50 लाख
7.	वृमने केयर मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट	1 हेक्टेयर	50 लाख
8.	एशियन इंस्टीट्यूट फार ट्रांस्पोर्ट डेवलपमेंट	2 हेक्टेयर	50 लाख
9.	विरेन्द्रनाथ यमुनादास चैरिटेबल ट्रस्ट	4 हेक्टेयर	पहले 15 लाख एकड़ तथा शेष 50 लाख प्रति एकड़
10.	राज योग	419 वर्ग मीटर	50 लाख
11.	न्यू प्रेस क्लब	583 वर्ग मीटर	80 लाख
12.	अपर्णा	862.32 वर्ग मीटर	80 लाख
13.	हर मेरी इंस्टीट्यूट	1000 वर्ग मीटर	80 लाख
14.	दीप योग	793 वर्ग मीटर	5 लाख
15.	बिरला एकेडमिक	3.17 हैक्टेयर	80 लाख
1996			
1.	एम्प्लापमेंट कैरियर	1000 वर्ग मी0	15 लाख +30%
2.	राम विट्ठल शिक्षा समिति	1.5 एकड़	60 लाख +30%
3.	डायमिया ट्रेडर्स	676.71 वर्ग मी0	80 लाख +30%
4.	कैसर इंस्टीट्यूट	3 एकड़	80 लाख +वही
5.	त्रिलोक सिंह भंडारी	669.80 वर्ग मी0	50 लाख +वही
6.	डी.ए.बी. कॉलेज ट्रस्ट	786.60 वर्ग मी0	50 लाख +वही
7.	संजय क्लब	10000 वर्ग मी0	50 लाख +वही
8.	एम.एस. रिक्रियेशनल क्लब	2000 वर्ग मी0	35 लाख +वही
9.	दीपालिया एजुकेशन समिति	900 वर्ग मी0	50 लाख +वही
10.	भारत विकास परिषद्	800 वर्ग मी0	65 लाख +वही
11.	गोरास कल्चर	427.50 वर्ग मी0	1.20 करोड़ +वही
12.	केदार नाथ मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट	570 वर्ग मी0	50 लाख +वही
13.	प्रयास सोसाइटी	1000 वर्ग मी0	50 लाख +वही
14.	सीनियर सिटीजन-ट्रस्ट	350 वर्ग मी0	13.50 लाख +वही
15.	वेलफेयर होम चिल्ड्रेन	1000 वर्ग मी0	19.50 लाख +वही
16.	उस्ताद मुस्ताक अली खान	1000 वर्ग मी0	950 लाख +वही
17.	गायत्री फाइन आर्ट	1000 वर्ग मी0	65 लाख +वही
18.	सेंट्रल वर्गर्स ऑफ बोर्ड	0.2 एकड़	50 लाख +वही
19.	कांगु सी. एच. बी. एस. डी.	420 वर्ग मी0	35 लाख + वही
20.	फेडरेशन ऑफ एजुकेशन पब्लिकेशन ऑफ इंडिया	1200 वर्ग मी0	50 लाख +वही

क्रम सं.	संस्थान का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
21.	अरोड़ा वैश्य सभा	1610 वर्ग मी0	5 लाख +वही
22.	इन्द्रप्रस्थ कैसर सोसाइटी	700 वर्ग मी0	50 लाख +वही
23.	अग्रसेन जन सेवा सभा	728.45 वर्ग मी0	50 लाख +वही
1997			
1.	वाई. डब्ल्यू. सी. ए.	5000 वर्ग मी.	65 लाख +69%
2.	एविएशन सी एच बी एच	1215 वर्ग मी.	1 रुपये
3.	गृरु सिख गृरुद्वारा समिति	3.227 एकड़	65 लाख + वही
4	संगीतका	380 वर्ग मी.	30 लाख + वही
5	अग्रवाल विकास परिषद	380 वर्ग मी.	65 लाख + वही
6	जगत्राथ एजुकेशन सोसायटी	2000 वर्ग मी.	65 लाख + वही
7	रोटरो	1000 वर्ग मी.	15 लाख + वही
8	अग्रवाल सभा	324 वर्ग मी.	50 लाख + वही
9	पंजाबी बिरादरी	786.6 वर्ग मी.	50 लाख + वही
10	शालीमार पंजाबी सभा	659 वर्ग मी.	65 लाख + वही
11	उस्ताद मुस्ताक अली खान	1000 वर्ग मी.	50 लाख +वही
12	अरबी विक्रम	1000 वर्ग मी.	50 लाख + वही
13	अरोड़ा सोहन लाल	700.62 वर्ग मी.	80 लाख + वही
14	श्री देवी मुकाब बाई मंदिर	800 वर्ग मी.	50 लाख + वही
15	सरिता विहार संस्कृति परिषद	400 वर्ग मी.	80 लाख + वही
16	नियंगप्पा महाबुद्ध विहार		50 लाख + वही

विवरण॥

गत तीन वर्षों के दौरान शिक्षण संस्धानों को भूमि का आबंटन

वर्ष 1995	**संस्थानों का नाम**	**क्षेत्र**	**दर प्रति एकड़**
1	लोट कैरी बैपटिस्ट मिशन	1.50 हेक्टेयर (दल्लुपुरा)	
2	गुरू विवेकानन्द सिख समिति	1000 वर्ग मी.	
3	रॉक फील्ड एजुकेशनल सोसाइटी	1000 वर्ग मी.	अस्थायी
4	डी.ए.वी. कालेज एम समिति	6069 .66 वर्ग मी.	पूर्वी क्षेत्र
5	सैंट रोजर	1.5067 एतड़	35 लाख रुपये
6	जे. एस. जे.	3.5 एकड़	
7	सांताक्रूज	900 वर्ग मी.	रशिचमी उत्तरी क्षेत्र
8	कीड्स एजुकेशनल सोसायटी	980 वर्ग मी.	
9	वैश अग्रवाल	0.8 हेक्टेयर	50 लाख रुपये
10	सचदेवा एजुकेशनल सोसायटी	4900 वर्ग मी.	दक्षिणी क्षेत्र
11	दिल्ली कैथोलिक	4.10 एकड़	80 लाख रुपये

वर्ष 1995	संस्थानों का नाम	क्षेत्र	दर प्रति एकड़
1996			
1	रोहिणी एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	अस्थायी
2	बुपलिस्ट एजुकेशनल सोसायटी	37 हेक्टेपर	पूर्वी क्षेत्र
3	लक्ष्मीबाई फाउंडेशन	0.40 हेक्टेयर	35 लाख रुपये
4	मोहित बालविकास	3906 वर्ग मी.	पशिचम और उत्तरी क्षेत्र
5	सरस्वती एजुकेशन सोसायटी	0.150 एकड़	
6	लाकपत एजुकेशन सोसायटी	8.4 हेक्टेयर	50 लाख रूपये + 30%
7	महाशा चुत्री लाल	0.4 हेक्टेयर	दक्षिणी क्षेत्र
8	गोस्वभी विद्यापीठ	0.4 हेक्टेयर	80 लाख रुपये + 30%
9	कमल एजूकेशन सोसायटी	1.3 एकड़	
10	माउंट आबू एजुकेशन सोसायटी	0.755 हेक्टेयर	
11	बाल सारभौमिक	800 वर्ग मी.	
12	कौशल्या देवी मेमोरियल	1570 वर्ग मी.	
1997			
1	सुयस	800 वर्ग मी.	
2	दिल्ली पब्लिक स्कूल	1.6 हेक्टेयर	अस्थायी
3	संत कबीर एजुकेशन सोसायटी	7090 वर्ग मी.	पूर्वी क्षेत्र
4	डी. पी. एस.	4 एकड़	35 लाख + 69%
5	सार्वजनिक सर्वोदय	1 एकड़	पशिचम और उत्तर क्षेत्र
6	प्रगति एजुकेशन सोसायटी	3.953 एकड़	50 लाख रुपये + 69%
7	संत लारेंस	4 एकड़	दक्षिणी क्षेत्र
8	गगन एजुकेशन सोसायटी	4 एकड़	80 लाख + 69%
9	मयूर एजुकेशन सोसायटी	8.60 हेक्टेयर	
10	गीता फाउंडेशन	800 वर्ग मी.	
11	ग्रीगोरियन स्थोडेक्स	1.50 एकड़	
12	परोपकारी एजुकेशन सोसायटी	800 वर्ग मी.	
13	मयूर एजुकेशन सोसायटी	822.50 वर्ग मी	

दिल्ली में सरकारी आवासों का किसाये पर दिया जाना

3650. **श्री नागमणि**:

चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दिल्ली में सरकरी आवासों को किराये पर दिये जाने संबंधी कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या अनेक सरकारी कर्मचारियों ने, जिनके पास उनके अपने परिवार के सदस्यों के नाम से मकान है, अपने नाम पर सरकारी आवास आबंटित करा लिया है;

(ग) यदि हां, क्या सरकार इन कर्मचारियों का आवंटन रद्द करने तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास देने पर विचार कर रही है; और

(घ) जिन व्यक्तियों ने अपने सरकारी आवास किराये पर दिये हैं, उनके विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?